फर्द अहकाम

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

एक्सिस बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस–त्रिशूल,समर्थेश्वर मन्दिर के पीछे, इलीस ब्रिज, अहमदाबाद तथा कॉरपोरेट ऑफिस एक्सिस हाउस, बोम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पान्डुरंग बुद्धकर मार्ग, वर्ली मुम्बई–400025, ब्रांच ऑफिस जी – 9, महिमा ट्रिनटी मॉल, स्वेज फार्म जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी पार्थ मदान

– – – प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स नीलम मार्बल वास्ते प्रोपराइटर अशोक कुमार जैन
   पता – झांझर कांकरोली राजसमन्द 313324 **– – – ऋणी**
2. अशोक कुमार जैन
   निवासी – प्लाट न. 34, दयाल शाह का किला रोड, शिव मन्दिर के पास किशोर नगर मण्डा, कांकरोली, राजसमन्द अन्य पता – प्लाट नं. 2609 ग्राम पंचायत मोलेला पंचायत समिती खमनोर जिला राजसमन्द

– – – गारण्टर/प्रोपराइटर

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 86/2022**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 19.12.2022 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड, जयपुर ने दिनांक 20.10.2022 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक से जरिये ऋण अनुबंध संख्या 917030029351484/920060053028487, के द्वारा 11990000 रूपये (अक्षरे एक करोड उन्नीस लाख नब्बे हजार) का दिनांक 24.03.2017 ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान की सिक्योरिटी के पेटे एक संपत्ति प्लाट नं. आराजी नं. 2609 ग्राम पंचायत मोलेला पंचायत समिति खमनोर जिला राजसमंद क्षेत्रफल 1880 वर्गफीट व 2000 वर्गफीट प्लाट एट खसरा नं. 3022 गावं मोलेला ग्राम पंचायत मोलेला पंचायत समिति खमनोर जिला राजसमंद को बंधक रखा था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी बैंक के उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सकें और दिनांक 30 जून 2021 को ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाते को एन.पी.ए. घोषित कर दिया है। व अप्रार्थी के दिनांक 30.06.2021 तक 12248803 रू. शेष व देय निकलते है उक्त राशि की मांग हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक 23.12.2021 को एक मांग नोटिस भी जरिये रजिस्टर्ड डाक	

न्यायालय जिला कलक्टर

के माध्यम से अप्रार्थी को उनके ज्ञात पतें पर प्रेषित किया। परंतु धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया है। अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्नभुगतान के लिए जो संपत्ति प्लाट नं. आराजी नं. 2609 ग्राम पंचायत मोलेला पंचायत समिति खमनोर जिला राजसमंद क्षेत्रफल 1880 वर्गफीट व 2000 वर्गफीट प्लाट एट खसरा नं. 3022 गावं मोलेला ग्राम पंचायत मोलेला पंचायत समिति खमनोर जिला राजसमंद। प्रार्थी बैंक उक्त वर्णित सिक्यूरिटी रहनशुदा संपत्तियों का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने का अधिकारी है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पति का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करावें।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का नोटिस दिनांकः 13.12.2021 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी भारतीय डाक विभाग के ट्रेक कन्साइमेंट की प्रति पेश की गई। उसके बावजुद भी अप्रार्थी द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी बंधक सम्पति प्लाट नं. आराजी नं. 2609 ग्राम पंचायत मोलेला पंचायत समिति खमनोर जिला राजसमंद क्षेत्रफल 1880 वर्गफीट व 2000 वर्गफीट प्लाट एट खसरा नं. 3022 गावं मोलेला ग्राम पंचायत मोलेला पंचायत समिति खमनोर जिला राजसमंद।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड, जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड, जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)